न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या –: 816/2017

महादेव प्रसाद पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी–ग्राम सामोद तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज0

–अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू तहसील चौमू जिला जयपुर
2–राधेश्याम पुत्र श्री जगदीश चन्द शर्मा

3–मु0 प्रभाती देवी उर्फ नन्द कंवर पत्नि श्री जगदीश चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी–ग्राम सामोद तहसील चौंमू जिला जयपुर (मृतक)

4–कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 सीता राम जाति महाजन अग्रवाल निवासी– प्लाट नम्बर–सी–11, पृथ्वीराज मार्ग, जयपुर जिला जयपुर

5–बाबू लाल पुत्र श्री सेडू (फौत 28–06–2017)

5/1– श्रीमति जमना देवी पत्नि स्व0 श्री बाबू लाल

5/2– कालू राम पुत्र स्व0 श्री बाबू लाल

5/3–जितेन्द्र पुत्र स्व0 बाबू लाल

5/4– कुमारी सीमा पुत्री स्व0 बाबू लाल

6–भौंरी देवी पत्नि श्री सेडू

जाति माली निवासी–ग्राम सामोद तहसील चौंमू जिला जयपुर राज0

7–उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय चौमूँ जिला जयपुर राज0

–––रेस्पोडेंट्स––

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री अजय कुमार सैनी अपीलान्ट की ओर से।

2– श्री जी0 एल0 मीणा रेस्पोडेंट सख्या 01 की ओर से।

3–श्री घीसा लाल कुमावत रेस्पो0 सख्या 2 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–13–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–05–2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सख्या–133/2007 उनवान सरकार बनाम राधेश्याम वगैरह के प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद सख्या 61/2001 उनवान कृष्ण कुमार बनाम राधेश्याम वगैरह जो रेस्पोडेन्ट सख्या 04 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है तथा वाद सख्या 98/2006 उनवानी महादेव बनाम राधेश्याम वगैरह जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है बाबत घोषणा व निषेधाज्ञा के हैं।उक्त दोनों वाद में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया होना कथन कर एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया कि वाके ग्राम सामोद तहसील चौंमू जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा जिसके बने हाल खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.14 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1620 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1615/2304 रकबा 0.03 हैक्टैयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.81 हैक्टैयर व गत खसरा नम्बर 818 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1926 रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त भूमि ही विवादित भूमि है।प्रार्थना–पत्र में आगे कथन किया गया कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्याउ बन्दौल की खातेदारी भूमि है, जो कि सार्वजनिक हित की है। उक्त भूमि को सुरक्षित रखने का विधिक दायित्व प्रार्थी का है।उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड साबिक खसरा नम्बर 816 का नामान्तरकरण दर्ज करते समय तथा बंदोबस्त के समय साबिक खसरा नम्बर 818 का नियमन किया जाते समय विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुए गलती से व्यवस्थापक श्री जगदीशचन्द्र शर्मा शब्द का अंकन कर दिया गया। जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है।श्री जगदीशचन्द्र शर्मा की मृत्यु सन 1999 में हो चुकी है,अतः उक्त प्रविष्टि कानूनन स्वतः निरस्त हो जाती हैं। विवादित भूमि सार्वजनिक भूमि है जिसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन अनधिकृत कब्जा करने की कुचेष्टा पिछले काफी समय से की जा रही है तथा भूमि हडपने की नियत से कतई झुठे व बेबुनियाद दावे न्यायालय के समक्ष कर रखे है जो वाद सख्या 61/01 तथा 98/06 व प्रार्थना–पत्र सख्या 90/06 व 77/06 विचाराधीन हैं।उक्त भूमि पर न्यायालय द्वारा रिसिवर नियुक्त किया जा चुका है।अप्रार्थीगण आपस में साझा कर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करवाकर विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने की चेष्टा में है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में उक्त कथन उल्लेख करते हुए अप्रार्थीगण को

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा व निर्माण कार्य नही करें न ही भूमि बाबत किसी प्रकार का विक्रय विलेख या इकरारनामा तहरीर अथवा तकमील करे ना ही पंजीयन करावे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।उक्त प्रार्थना –पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–05–2007 को अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि ग्राम सामोद तहसील चौंमू जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा जिसके बने हाल खसरा नम्बर 1609 रकबा 0.14 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1620 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1615/2304 रकबा 0.03 हैक्टैयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.81 हैक्टैयर भूमि अपीलान्ट के हक व अधिकार कब्जा काश्त की कृषि भूमि है तथा अपीलान्ट के पिता भूरा के नाम से थी तथा उसके पश्चात दिनांक 21/02/1963 को मिसल सख्या–227/63 भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बाला–बाला अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर जगदीश चन्द्र शर्मा व्यवस्थापक धर्मशाला प्याउ बन्दौल के नाम से अपीलान्ट के पिता भूरा की खातेदारी भूमि को बिना विधिसम्वत सुनवाई का अवसर दिये बिना पेश करने के दिन ही आनन–फानन में संपूर्ण कार्यवाही करते हुये भूरा की खातेदारी के स्थान पर जगदीश चन्द्र शर्मा के नाम से इन्द्राज कर दिया गया।जो कार्यवाही शुरू से ही अपीलान्ट के हक अधिकारों के प्रति ''नल एण्ड वोईड'' है।जानकारी के साथ ही सन 2007 में एक अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ए0 एस0 ओ0 के आदेश के खिलाफ भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के यहॉ अपील सख्या 02/2007 प्रस्तुत की, जिसमें आदेश के द्वारा आदेश दिनांक 21/02/1963 निरस्त कर दिया।जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की, जिसमें भू–प्रबन्ध आयुक्त का आदेश दिनांक 08–05–2007 को निरस्त कर समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 03–09–2015 की अनुपालना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का निर्णय दिनांक 30–05–2016 को पारित किया गया। जिसमें आदेश दिनांक 21/02/1963 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार,चौमू, जिला जयपुर को जॉच कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार इन्द्राज करने का आदेश दिया गया।उक्त कार्यवाही को रूकवाने के लिये रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार बनाम राधेश्याम वगै0 के नाम से

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 26–05–2007 अपीलान्ट को बचाव व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा कोई नोटिस जारी किये बिना ही अवैध व अनुचित रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया तथा पत्रावली सहायक कलेक्टर चौंमू (फास्ट ट्रेक) में स्थानान्तरित की है, अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है,उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।इसलिये यह अपील अपीलान्ट द्वारा निम्न आधारों पर प्रस्तुंत की जा रही है।

4– अपीलान्ट द्वारा अपील में आधार लिये गये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना कतई परवर्स आर्बीट्रेरी एवं कॉन्ट्रेरी टू लॉ आदेश अधीन अपील पारित कर भयंकर कानूनी भूल की है, इसलिये आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है।आदेश अधीन अपील पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुचना व सुनाई का अवसर प्रदान ना कर प्राकृतिक व न्यायिक सिद्धातों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है।अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी सिद्धातों, प्रथमदृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति,सुविधा का सन्तुलन पर तनिक भी गौर व विवेचना ना कर भयंकर गलती की है।इसलिये आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है।अधिनस्थ न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश पारित किया है,कानूनन यथास्थिति का आदेश कानून की नजर में कोई आदेश नहीं होता है, जिस और अधिनस्थ न्यायालय ने तनिक भी ध्यान ना देकर भयंकर कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 26–05–2007 को पारित किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है जिसको कानूनन 30 दिवस के अन्दर निस्तारित करना आवश्यक है।जिसकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 1 लगायत 4 के उप नियमों की पालना नहीं की है।एकतरफा आदेश पारित किये जाने के पश्चात 30 दिन के भीतर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निर्णय किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजीयात का अपीलार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है, कानून व न्याय अनुसार काबिज खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपील के मद सख्या 01 में वर्णित आराजीयात का रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिये वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट का कोई प्रथमदृष्टया केस नहीं है और ना ही उनको किसी प्रकार की क्षति होना कहा जा सकता ना ही उनके हक में सुविधा का सन्तुलन है।उक्त तीनों सिद्धान्त अपीलान्ट के हक में है,फिर भी अपीलार्थी को पाबंद कर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

कतई अनुचित अवैध आदेश अधीन अपील पारित किया है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने की कोई परिस्थितियॉ नहीं थी,और ना ही रेस्पोडेन्ट सख्या 1/वादी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने की परिस्थितियों व आवश्यकता बताई है। धारा 39 नियम 3 की कतई पालना नहीं कर कतई अनुचित व अवैध आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।उक्त आधारों पर अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 26–05–2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

5– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6– अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विधि के विपरीत सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के पिता भूरा की खातेदारी की भूमि को जगदीशचन्द्र शर्मा के नाम पर इन्द्राज कर दिया गया जो शुरू से ही नल एण्ड वोईड है। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में न्यायालय द्वारा दिनांक 30–05–2016 को निर्णय पारित किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपीलान्ट के पिता भूरा पुत्र चन्दा माली की प्रत्यक्षतः खातेदारी में माना है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 21/2/1963 निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार चौमू को प्रतिप्रेषित कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के निर्देश दिये गये है।तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड में कोई कार्यवाही नहीं की जा रकी है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–05–2007 को पारित किया गया था जो कि अंतरिम आदेश है जिसपर सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 के अनुसार एक माह में अंतिम निर्णय किया जाना आवश्यक था जो नही किया गया है तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा लगातार लगभग 10 वर्ष तक तारीख पेशी दी जा रही है।प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित किये गये खसरा नम्बर 1626 रकबा 1.64 हैक्टैयर से अपीलान्ट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा यही भूमि सार्वजनिक प्याउ बंदोल के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। खसरा नम्बर 1609 लगायत 1611, 1615/2304, 1619,1620 कुल किता 06 कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणदास की खातेदारी में दर्ज है न कि सार्वजनिक प्याउ के नाम दर्ज हैं इस प्रकार यह भूमि सार्वजनिक नहीं हैं तथा अपीलान्ट द्वारा अपने वाद में इसी प्रविष्टि को चुनौती दी गई हैं जिस भूमि के बारे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

दिनांक 30–05–2016 में अपीलान्ट के पिता भूरा की खातेदारी में होना माना है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है न कि रेस्पोडेन्टस के पक्ष में। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है तथा न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 1 लगायत 4 की पालना नहीं की गई है न ही प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा रहा है तथा लगातार तारीख पेशी दी जा रही है इसलिये अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए तथा अपील स्वीकार कर प्रकरण को गुणावगुण पर निश्चित समयावधि में निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

7– अधिवक्ता रेस्पोडेंट सख्या 1 द्वारा अपनी बहस में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा अप्रार्थीगण उसको खुर्द–बुर्द करने की चेष्टा में है अतः अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 02 द्वारा अपीलान्ट के इस कथन का समर्थन किया गया कि प्रकरण को निश्चित समयावधि में गुणावगुण पर निस्तारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जावे।

8– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा दिनांक 26–05–2007 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन प्रार्थना–पत्र व रिकॉर्ड का अवलोकन किये जाने के पश्चात आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की गई थी।उक्त दिनांक 26–05–2007 से अपील प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 18–09–2017 एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार दिनांक 15–11–2017 तक लगातार तारीख पेशी लगभग 10 वर्ष तक दी जाती रही है परन्तु प्रार्थना–पत्र पर पारित अंतरिम आदेश को निस्तारित नहीं किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है।न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी,मिलान क्षैत्रफल आदि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 816 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी–दोयम संवत 2019 में जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणदास ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज है तथा जिसके वर्तमान भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 1609 लगायत 1611, 1619, 1620, 1615/2304 बने है तथा उक्त भूमि जमांबंदी संवत 2071 से 2074 में जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणदास की खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमि सार्वजनिक होना प्रथमदृष्टया उक्त रिकॉर्ड से साबित नहीं हैं।गत खसरा नम्बर 818 खतोनी बंदोबस्त संवत

2019 के अनुसार सिवाय चक भूमि है तथा वर्तमान बंदोबस्त में उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1626 बने है जो जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार सार्वजनिक प्याउ बंदोल की खातेदारी में दर्ज है।अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह रिकॉर्ड के अवलोकन से अपीलान्ट द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में उचित प्रतीत नहीं होता है।प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तलबी एवं जवाब में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय किया जाना संभव है। परन्तु चूंकि सन 2007 से अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश न्यायालय द्वारा बिना कोई स्पष्ट कारण अंकित करते हुए प्रभाव में चला आ रहा है जो उचित नही हैं। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वर्णित भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है तथा उक्त भूमि संबंधी अपीलान्ट का घोषणा का वाद विचाराधीन है तथा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर द्वारा भूमि को प्रथमदृष्टया अपीलान्ट के पिता की खातेदारी में होना माना है, इन परिस्थितियों में अपीलान्ट द्वारा वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1609 लगायत 1611,1619,1620 तथा 1615/2304 कुल किता 06 कुल रकबा 2.81 हैक्टैयर के संबंध में अपीलाधीन अंतरिम आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा चूंकि प्रकरण तलबी एवं जवाब में विचाराधीन है अतः अधिनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–05–2007 को भूमि खसरा नम्बर 1609 लगायत 1611, 1619, 1620, 1615/2304 के संबंध में निरस्त किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1626 के संबंध में यथाावत रखा जाता है।प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर दो माह की अवधि में प्रार्थना–पत्र पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10– निर्णय आज दिनांक 13–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर